बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सरकारी प्रतिवेदन।

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 15 जुलाई, 1982 ई०।

विषय-सूची।

	पृष्ठ।
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर (संख्या 13 एवं 14) पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित।	1—7
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 1134, 1812, 1813, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1846, 1875 एवं 1892।	8—26
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	27—55
दैनिक निबंध	56

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

तो घाटा ही है लेकिन जबतक वहां प्रोडक्शन नहीं होता है तबतक उसे घाटे में नहीं कहा जायेगा।

श्री जनार्दन तिवारी—इन तीनों निगमों में कितनी धनराशि लगी हुई है?

श्री प्रभुनाथ सिंह—बिहार स्टेट केमिकल कारपोरेशन का ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़ और प्रदत्त पूंजी है 152.78 लाख रु०। बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन का ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़ और प्रदत्त पूंजी है 114.03 लाख रुपया। उसी तरह से बिहार स्टेट टेक्सटाइल्स कारपोरेशन का ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़ तथा इसकी प्रदत्त पूंजी है 112.85 लाख रुपया।

श्री जनार्दन तिवारी—इन तीनों निगमों का अंकेक्षण कराया है या नहीं?

श्री प्रभुनाथ सिंह—जितने निगम हैं सब का फैक्टरी ऐक्ट अधिनियम के अंतर्गत हर साल बैलेंस शीट बनता है और उसकी जांच होती है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—क्या सरकार को जानकारी है कि एलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन एलेक्ट्रोनिक्स डील करता है लेकिन उसके प्रबंध निदेशक लकड़ी के एक्सपर्ट हैं?

अध्यक्ष—मैंने इसे अमान्य किया।

श्री रमेन्द्र कुमार—नियमानुसार हर निगम का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में ले होना चाहिए यह अबतक क्यों नहीं हुआ है?

श्री प्रभुनाथ सिंह—इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसा आवश्यक होगा तो ले किया जायगा।

दवा की आपूर्त्ति।

1818. सर्वश्री राघव प्रसाद एवं वृशिण पटेल—क्या मंत्री, पशुपालन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के वैशाली प्रखंड में पशुओं के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रु० की दवा खरीदी जाती है, किन्तु लदरना एवं स्लेमपुर पशुपालन उप-केन्द्रों में कभी भी दवा की सप्लाई नहीं की जाती है, यदि हां, तो क्यों?

श्री मिश्री सदा—उत्तर अस्वीकारात्मक है। प्रत्येक प्रखंड तथा पशु-चिकित्सालय में प्रतिवर्ष, लगभग 600 रु० एवं 1,200 रु० की दवा के क्रय का प्रावधान

है। बाढ़ आने पर साहाय्य मद से कुछ अतिरिक्त दवाओं का क्रय किया जाता है। अतः वैशाली जिला के वैशाली प्रखंड में 10,000 रु० की दवाओं के क्रय का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

वैशाली प्रखंड में मदरना एवं सलेमपुर दो पशु-चिकित्सा उप-केन्द्र हैं लेकिन लदरना नाम का कोई उप-केन्द्र नहीं है। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी सप्ताह में एक दिन प्रत्येक उप-केन्द्र में पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रखंड के भंडार से दवाओं एवं उपकरण के साथ जाते हैं। अतः यह सही नहीं है कि उप-केन्द्रों में दवाओं की आपूर्त्ति नहीं की जाती है।

श्री वृशिण पटेल—अध्यक्ष, महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब में कहा है कि प्रत्येक प्रखंड को 600 रुपये की दवा की आपूर्त्ति की जाती है, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एक प्रखंड में कितने सब-सेन्टर हैं?

श्री मिश्री सदा—एक प्रखंड में कहीं चार, कहीं तीन और कहीं दो भी हैं।

श्री वृशिण पटेल—जब 600 रुपये की दवा एक प्रखंड को आपूर्त्ति की जाती है, तो जहाँ चार पाँच उप केन्द्र हैं, वहाँ पर दवा की आपूर्त्ति कितनी की जाती है?

अध्यक्ष—आपने वैशाली प्रखंड के दो उप-केन्द्रों के बारे में पूछा है।

श्री वृशिण पटेल—आपका कहना सही है। तो मैं इनको जानकारी देना चाहता हूँ कि उक्त दो उप-केन्द्रों में एक पैसे की दवा की आपूर्त्ति नहीं की गयी है।

श्री मिश्री सदा—ऐसी बात नहीं है। आपने जिन दो उप-केन्द्रों के बारे में पूछा है, उन उप-केन्द्रों में सप्ताह में एक बार डाक्टर दवा के साथ जाते हैं।

श्री वृशिण पटेल—जो डाक्टर दवा के साथ उप-केन्द्रों में जाते हैं वे निश्चित रूप से रजिस्टर मेनटेन करते होंगे कि कौन-कौन सी दवा की आपूर्त्ति की गयी। तो क्या आप उस रजिस्टर की जाँच करवा देंगे?

(जवाब नहीं मिला।)

श्री लालू प्रसाद यादव—मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो दवाएं मवेशी मालिकों को दिये गये, क्या उनका नाम आप बतायेंगे?

श्री मिश्री सदा—आप अलग से पूछें, हम बता देंगे।